



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 श्रावण 1943 (श10)

(सं० पटना 699) पटना, मंगलवार, 17 अगस्त 2021

सं० 08/आरोप-01-09/2021/7654-सां०प्र०
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

27 जुलाई 2021

दिनांक 01.05.2021 से बालू उत्खनन का कार्य संबंधित संवेदक के द्वारा बंद किये जाने के पश्चात भी कुछ जगहों पर अवैध बालू उत्खनन एवं गैर कानूनी व्यापार से संबंधित शिकायतों की जाँच आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना से करायी गयी। अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के पत्रांक-184/गो० दिनांक 09.07.2021 द्वारा बालू के अवैध खनन, भण्डारण, परिवहन एवं इसमें सम्मिलित व्यक्तियों से संबंधित जाँच प्रतिवेदन गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार, पटना के पत्रांक-3966 दिनांक 09.07.2021 द्वारा प्राप्त हुआ। जाँच प्रतिवेदन में श्री सुनील कुमार सिंह, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-789/2019, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, डिहरी, रोहतास के विरुद्ध अवैध बालू उत्खनन में दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, अवैध बालू उत्खनन/परिवहन में संलग्न लोगों की मदद पहुँचाये जाने आदि आरोपों की पुष्टि सी०डी०आर० विश्लेषण एवं आसूचना संकलन के माध्यम से हुई है।

अतएव श्री सुनील कुमार सिंह, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-789/2019 को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) एवं (ग) में निहित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. संदर्भित आरोपों की जांच हेतु इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन का आदेश अलग से निर्गत किया जाएगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मो० सिराजुद्दीन अंसारी,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 699-571+10-डी०टी०पी०
Website: <http://egazette.bih.nic.in>